संख्या- 7/2022/ए-1- 310 /दस-2022-10(65)/2014

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ - दिनांक -** 26 जुलाई, 2022

विषय - प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये जीवन प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

पेंशन/पारिवारिक पेंशन जारी रखने के लिये वर्ष में एक बार पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा जीवन प्रमाण-पत्र सम्बन्धित कोषागार में जमा किये जाने की व्यवस्था है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न शासनादेश निर्गत किये गये हैं। शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को समस्त शासनादेशों के जानकारी न होने के कारण विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। शासन द्वारा विभिन्न शासनादेशों यथा- शासनादेश संख्या-9/2015/ए-1-431/दस-2015-10(23)/95 दिनांक 13 मई, 2015, संख्या-19/2016/ए-1-907/दस-2016-10(65)/2014 दिनांक 14 दिसम्बर, 2016, संख्या-9/2020/ए-1-306/दस-2020-10(65)/2014 दिनांक 22 अप्रैल, 2020 व संख्या-5/2022/ए-1-157/दस-2022-10(65)/2014 दिनांक 04 मई, 2022 के माध्यम से प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये जीवन प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में व्यवस्था की गयी है । सम्प्रति जीवन प्रमाण-पत्र जमा किये जाने हेतु निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं -

(क) वर्तमान पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के लिये-

(1) **डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र**

जीवन प्रमाण पोर्टल

i. भारत सरकार के 'जीवन प्रमाण' पोर्टल https://jeevanpramaan.gov.in का प्रयोग कर राज्य सरकार के पेंशनर अपना जीवन प्रमाण-पत्र डिजिटल रूप में कोषागार में प्रेषित कर सकतें हैं। (कृपया संलग्नक-1 देखें)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ii. पोर्टल पर उपलब्ध 'जीवन प्रमाण' एप विंडोस आधारित कम्प्यूटर/लैपटाप अथवा एन्ड्रॉयड मोबाइल पर डाउनलोड कर पेंशनर एप के माध्यम से डिजिटल रूप में जीवन प्रमाण-पत्र जनरेट कर कोषागार को ऑनलाइन प्रेषित कर सकते है। (कृपया संलग्नक-1 देखे)

बैंक/पोस्ट ऑफिस/जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से

iii बैंक/पोस्ट ऑफिस/ जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से भी डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र कोषागार में प्रेषित किया जा सकता है।

उमंग पोर्टल ऐप

iv भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल https://web.umang.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से जीवन प्रमाण पोर्टल का उपयोग करते हुये क्रमांक (i) के अनुसार डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जनरेट कर सकते हैं। (कृपया संलग्नक-2 देखें)

v एन्ड्रॉयड मोबाइल हेतु गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध उमंग ऐप डाउलोड कर डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र जनरेट किया जा सकता है।

डोर स्टेप सर्विस

vi बैंकों व पोस्ट ऑफिस की डोर स्टेप सर्विस के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र कोषागार में प्रस्तुत किया जा सकता है। बैंकों की डोर स्टेप सर्विस प्राप्त करने हेतु **'Door Step Banking Service App'** तथा डाक विभाग से यह सर्विस प्राप्त किये जाने हेतु' **Post Info App'** गूगल प्ले स्टोर पर से एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर डोर सर्विस प्राप्त की जा सकती है। उक्त सेवा प्रदान किये जाने हेतु बैंक/पोस्ट ऑफिस द्वारा पेंशनरों से एक अल्पराशि सर्विस चार्ज रूप में ली जाती है। (कृपया संलग्नक-3 देखें)

(2) प्रवासी पेंशनर

विदेश में रह रहे उत्तर प्रदेश सरकार के पेशनरों हेतु शासनादेश संख्या-5/2022/ए-1-157/दस-2022-10(65)/2014 दिनांक 04 मई, 2022 में व्यवस्था है कि विधिवत अधिकृत एजेंट यदि मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा या भारत के राजनयिक प्रतिनिधि के अधिकृत भारतीय बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है, तो पेंशनरों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। इसी के साथ पारिवारिक पेंशनरों के लिये यह व्यवस्था है कि भारत के दूतावास/भारत के उच्चायोग/देश में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के आधार पर उनका डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त **भौतिक रूप से वर्ष में एक बार जीवन प्रमाण-पत्र** जमा किये जाने का विकल्प भी है। यदि पेंशनर चाहें तो अपनी सुविधानुसार कोषागार/बैंक में उपस्थित हो कर अथवा सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर जीवन प्रमाण पत्र कोषागार/बैंक में जमा कर सकते हैं।

(ख) राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी

राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन सेवा पोर्टल epension.up.nic.in शुरू किया गया है। ऐसे पेंशनर जिनके पेंशन भुगतानादेश उक्त पोर्टल

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

के माध्यम से निर्गत हुयें हैं, उन्हें इसका प्रयोग करते हुये पेंशनरों को अब प्रथम भुगतान के समय भी कोषागार में उपस्थित नहीं होना पड़ेगा।

2- अत: प्रदेश में उपरोक्तानुसार लागू जीवन प्रमाण पत्र की व्यवस्था के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथापरि।

भवदीय

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
5- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/ द्वितीय उत्तर प्रदेश।
6- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)- प्रथम/ द्वितीय उत्तर प्रदेश।
7- मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई।
8- मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर।
9- निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें।
10- निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश।
11- मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई।
12- मुख्य महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
13- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
14- नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन), प्रयागराज।
15- एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ।

आज्ञा से
पूर्ण देव उपाध्याय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक-1

जीवन प्रमाण पोर्टल से जीवन प्रमाण-पत्र कैसे बनाये

1. जीवन प्रमाण पोर्टल-https://jeevanpraman.gov.in/app/ download पर जायें।

↓

2. जीवन प्रमाण पोर्टल से अपने कम्प्यूटर/मोबाइल पर जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड कर इन्स्टॉल करें।

↓

3. अपने कम्प्यूटर/मोबाइल से STQC प्रमाणित बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करें।

↓

4. अब ऑपरेटर का आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई डी डालकर Generate OTP पर क्लिक करें।

↓

5. OTP डालने के बाद operator का फिंगर स्कैन करने पर उसका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो जायेगा।

↓

6. अब पेंशनर का आधार नम्बर, मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई डी डालकर Generate OTP पर क्लिक करें।

↓

7. OTP डालने पर पेंशनर का नाम आदि समस्त विवरण भर कर फिंगर स्कैन करना होगा। तत्पश्चात् डिजीटल जीवन प्रमाण-पत्र तैयार हो जायेगा।

नोट- जहाँ पेंशनर स्वयं जीवन प्रमाण-पत्र सृजित कर रहें हैं, वहाँ पेंशनर द्वारा प्रथमत: ऑपरेटर के रूप में पंजीकरण कराया जायेगा, तत्पश्चात् बिन्दु-6 के अनुसार पेंशनर को स्वयं का पंजीकरण करना होगा।

संलग्नक-2

UMANG APP से जीवन प्रमाण-पत्र कैसे बनाये

1. गूगल प्ले स्टोर से UMANG APP अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें।

2. अब जीवन प्रमाण सर्विस सर्च करें।

3. मोबाइल से बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करें।

4. General Life Certificate टैब पर क्लिक करें।

5. Authentication Tab के तहत आधार नम्बर व मोबाइल नम्बर दिखेगा।

6. Generate OTP बटन पर क्लिक करें।

7. OTP नम्बर को निर्धारित जगह पर भरकर Submit करें।

8. बायोमेट्रिक डिवाइस से फिंगरप्रिन्ट स्कैन कर सत्यापित करने पर जीवन प्रमाण-पत्र तैयार हो जायेगा।

9. View Certificate पर क्लिक करने पर आधर नम्बर या जीवन प्रमाण-पत्र आई.डी. की मदद से इस देखा जा सकेगा।

संलग्नक-3

डोर स्टेप बैंकिंग का प्रयोग कैसे करें

बैंकों के लिये

1- गूगल प्ले स्टोर से डोर स्टेप बैंकिंग एप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें अथवा https://doorstepbanks.com पर क्लिक करें।

↓

2- अब बैंक एकाउण्ट नम्बर व बैंक से लिंक मोबाइल नम्बर डालकर रजिस्ट्रेशन करें।

↓

3- अपने बैंक का चयन जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के लिये अपना एकाउण्ट नम्बर भरें।

↓

4- अब डोर स्टेप सर्विस के लिये समय सारणी का चयन करें।

↓

5- तत्पश्चात् रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. प्राप्त होगा, जिसमें एजेन्ट का नाम और विवरण अंकित होगा।

↓

निर्धारित तिथि व समय पर बैंक एजेन्ट द्वारा पेंशनर को डोर स्टेप सर्विस प्रदान की जाती है, जिसके लिये पेंशनर को शुल्क का भुगतान करना होगा ।

नोट- पेंशनभोगियों को सरल तरीके से जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराने की सुविधा प्रदान करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्रों के 12 बैंको ने एक गठबंधन किया है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.), पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.), बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डियन बैंक, इण्डियन ओवरसीज बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शामिल हैं।

पोस्ट ऑफिस के लिये

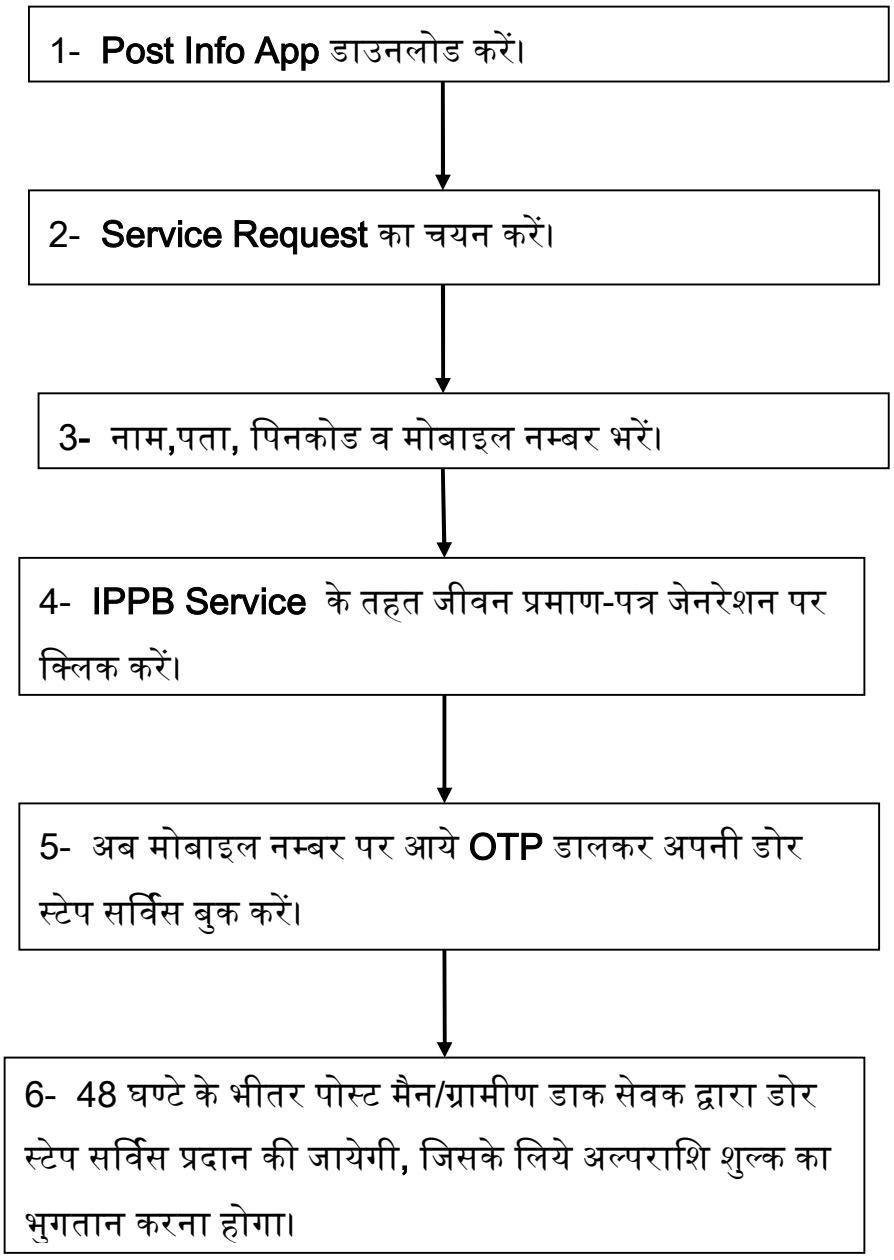
1- Post Info App डाउनलोड करें।
2- Service Request का चयन करें।
3- नाम,पता, पिनकोड व मोबाइल नम्बर भरें।
4- IPPB Service के तहत जीवन प्रमाण-पत्र जेनरेशन पर क्लिक करें।
5- अब मोबाइल नम्बर पर आये OTP डालकर अपनी डोर स्टेप सर्विस बुक करें।
6- 48 घण्टे के भीतर पोस्ट मैन/ग्रामीण डाक सेवक द्वारा डोर स्टेप सर्विस प्रदान की जायेगी, जिसके लिये अल्पराशि शुल्क का भुगतान करना होगा।